रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1919] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 2011/आश्विन 13, 1933

No. 1919] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2011/ASVINA 13, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2011

का.आ. 2309(अ).—यतः, मै. फ्लैगशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में गांव हिंजेवाडी, तालुका मुलशी, जिला पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ 1697(अ) में 11.7943 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 3 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 254(अ) में 0.2201 हेक्टेयर के एक अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित किया एवं 1.8818 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया जिसके परिणामतः विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्र 10.1326 हेक्टेयर हो गया था;

और यतः, मै. फ्लैगशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने सर्वेक्षण संख्याओं के क्षेत्रफलों में बदलाव करने का प्रस्ताव किया है जिससे +0.0440 हेक्टेयर की वृद्धि के पश्चात् विशेष आर्थिक जोन का परिणामतः कुल क्षेत्र 10.1766 हेक्टेयर हो जाएगा और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में सर्वेक्षण संख्याओं के क्षेत्रफलों में बदलाव को अधिसूचित करती है जिससे +0.0440 हेक्टेयर की वृद्धि के पश्चात् विशेष आर्थिक जोन का परिणामतः कुल क्षेत्र 10.1766 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्

TRUE COPY

MAHENDRA M. KALE
NOTARY GOVT. OF INDIA
PUNE.